रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

इस चिकित्सा पद्धति के विकास का सबसे बड़ा बाधक तत्व है,

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 48 ● संयुक्तांक – 21 ● कानपुर 1 से 15 नवम्बर 2026 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक

अपने अधिकारों का प्रयोग करना सीखें

आजकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक बार फिर अधिकारों को लेकर घमासान है हर तरफ अधिकारों की ही चर्चा है लोग इसी में व्यस्त हैं कि किसके पास अधिकार है और किसके पास नहीं है ? कभी कभी तो चर्चायें इतनी गरम हो जाती हैं जो कि स्थिति को भद्र से अभद्र तक ले जाती है।

प्रदेश का पूर्वांचल इलाका हो या पश्चिमी – हर तरफ अधिकारों को लेकर माहौल गरम है, हर संचालक अपने आप को अधिकार सम्पन्न बताता है और हमारा चिकित्सक भी इतना स्मार्ट हो चुका है कि वह अपने आपसे ज़्यादा किसी को समझदार नहीं मानता, परिणाम यह है कि एक नई अराजकता जन्म ले रही है यह सारे के सारे दृश्य एक नये परिदृश्य की संरचना कर रहे हैं और जब इन सारे परिदृश्यों को मिलाकर आने वाले भविष्य की कल्पना की जाती है तो बहुत ज़्यादा आशा बलवती नहीं होती है ! समाज का नियम है कि वह परिवर्तन के साथ चलता है परिवर्तन प्रकृति करे तो कोई बात नहीं लेकिन जब परिवर्तन की दिशा अपने बदल दें तो मन सोचने को विवश हो जाता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अभी तक कार्य करने के लिए वातावरण अच्छा है शासकीय सोच भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ है सरकार का सहयोग और समर्थन लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथों को मिल रहा है, फिर ऐसी कौन सी नई स्थिति पैदा हो जाती है जो हमारे साथी विचलित हो जाते हैं और विचलन भी इस तरह का होता है जिससे कि वह कुछ ऐसा कर डालते हैं जिससे कि नई परिस्थितियां जन्म ले लेती हैं,

आजकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबसे महत्वपूर्ण विषय है चिकित्सकों के पंजीयन का, प्रदेश में वर्तमान लागू व्यवस्था के अनुसार चिकित्सकों को चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए अपने पंजीयन का आवेदन करना होता है पहली व्यवस्था के अनुसार सभी अधिकारी चिकित्सकों का पंजीयन जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हुआ करता था चिकित्सकों का पंजीयन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में होता है।

उपरोक्त सारे ज़िले के पंजीयन 1 वर्ष के लिये हुआ करते थे, जो आज भी यथावत जारी हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों हेतु सरकार ने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया था अतः बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने उत्तर प्रदेश शासन से पुनः सम्पर्क किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की समस्याओं से अवगत कराया इस पर चिकित्सा अनुभाग–6 ने एक नया शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को जारी किया ज्ञातव्य हो कि प्रदेश की एक मात्र विधि सम्मत ढंग से स्थापित संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिये चिकित्सा अनुभाग–6 ने 04 जनवरी, 2012 शासनादेश जारी कर चुकी है अब इस नवीन शासनादेश के अनुसार सभी चिकत्सा पद्धतियों (जिसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी शामिल हैं) के चिकित्सकों का ज़िला पंजीयन पाँच वर्षा की अवधि के लिये इस शर्त के साथ किया जाता है कि चिकित्सा इकाई के संचालक का नाम औषधि की पद्धति एवं प्रदान की जा रही सेवाओं तथा कार्यरत चिकित्सकों/नियुक्त/लगे हुये पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सक/चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल्स के नाम आदि का विवरण 5X3 (पंद्रह वर्ग फुट) का एक डिसप्ले बोर्ड जिसका बैक ग्राउण्ड पीला एवं फॉर्मेट हिन्दी रंग काला के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में चिकित्सालय / क्लीनिक के मुख्य द्वार के पास प्रदर्शित करना सुनिश्चि करेंगे।

- ✓ अधिकार आपको प्राप्त है
- ✓ अधिकारों का प्रयोग करना समझें
- ✓ केवल कार्य को ही दें प्रमुखता
- ✓ व्यर्थ के कार्यों में ऊर्जा नष्ट न करें
- ✓ सम्भावनायें प्रतिपल बदलती हैं

इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक भी अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां प्रेषित कर देते थे, यह अलग बात है कि अलग–अलग ज़िलो में मुख्य चिकित्साधिकारी अलग–अलग रवैया अपनाते रहे हैं लेकिन अगस्त 2016 में पंजीयन की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार आयुर्वेद एवं युनानी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों का पंजीयन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं युनानी अधिकारी कार्यालय में होता है, इसी प्रकार होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन ज़िला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय में होता है।

मात्र एलोपैथिक

अद्यतन शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के अनुरुप बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा भी अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का जनपदीय पंजीयन पाँच वर्ष की अवधि अथवा उसके चिकित्सकीय पंजीयन प्रमाण–पत्र की मान्य अवधि तक किया जाता है, यदि आपने पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रखा है तो आप जांच अधिकारी से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं और प्राप्त अधिकारों के बारे में उस अधिकारी को बता भी सकते हैं, जिससे कि आपकी अपनी प्रैक्टिस की वैधानिकता और अधिकारिता की प्रमाणिकता प्रस्तुत हो जाती है।

इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक नेताओं के मध्य एकरुपता नहीं दिखती है वह एक दूसरे के विरूद्ध टिप्पणी करने से भी बाज़ नहीं आते हैं, इस तरह के कार्यों से हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और भ्रमित व्यक्ति कभी भी सकारात्मक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता, परिणाम यह होता है कि हमारे अधिकांश चिकित्सक अनिर्णय में पड़े रहते हैं अधिकार होते हुए भी अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

कदाचित ऐसी स्थिति का यदि जन्म न हो तो ही अच्छा है और यदि परिस्थितियों वश जन्म हो ही जाता है तो उनका शीघ्र शमन होना भी अति आवश्यक है, शमन की आवश्यकता इसलिए भी है कि जब कोई विषय बहुत लम्बे समय तक अनिर्णित रहता है तो लोगों का विश्वास उठने लगता है डगमगाये विश्वास वाला व्यक्ति कभी भी अपेक्षित परिणाम नहीं देता क्योंकि उसकी मनःस्थिति स्थिर ही नहीं रह पाती।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी को यदि बहुत दूर तक आगे ले जाना है तो यह सभी ज़िम्मेदारों का दायित्व है कि कोई ऐसी कार्ययोजना तैयार करें जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी समाज में फैली भ्रांतियां दूर हों अधिकारिता और अनाधिकारिता पर चर्चायें बन्द हों, कार्य करने की प्रवृत्ति का पुनर्जागरण करना होगा तभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वास्तविक विकास सम्भव हो पायेगा।

शेष पेज 2 पर

IDC के नये रुख से लोग परेशान हैं..



अन्तरविभागीय समिति/स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की दृष्टि सकारात्मक, पारदर्शी एवं स्पष्ट है, वह प्रकरण को और अधिक विलम्बित रखने के पक्ष में नहीं है, अन्तरविभागीय समिति अब यह समझ चुकी है कि संयुक्त संशोधित प्रपोज़लकर्ता सरकार को वास्तविक सूचनायें एवं साक्ष्य जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराना चाहते हैं या फिर उनके पास इससे अधिक कहने/देने के लिये कुछ है ही नहीं जिसके कारण देश के हज़ारों इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को उनका वह अधिकार नहीं मिल पा रहा है जिसके वे वास्तविक हकदार हैं।

फिर भी भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता हेतु गठित अन्तर विभागीय समिति द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिये सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाये हुये है, जो हर सम्भव यह प्रयास में है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कार्य करने का अवसर मिले और इससे जुड़े हुये चिकित्सक जनसामान्य को अपनी क्षमतानुसार स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकें अन्तर विभागीय समिति द्वारा निर्धारित अनिवार्य एवं एच्छिक मापदण्ड पूरे किये बिना इलेक्ट्रो होम्योपैथी को चिकित्सा पद्धति की मान्यता तो नहीं दी जा सकती है, परन्तु अन्तर विभागीय समिति की कार्यवाही से ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि वह शीघ्रताशीघ्र कोई मध्य मार्ग अवश्य निकाल सकती है, इसी कारण उसने अपनी पिछली तमाम बैठकों पर विचार करते हुये अपने अद्यतन पत्र में मात्र शिक्षण संस्थानों एवं औषधि निर्माताओं से सम्बंधित जानकारी चाही है।

स्वास्थ्य विभाग का दृष्टिकोण अभी भी वही है जो आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व था जो प्राथमिकतायें उसने निर्धारित की थीं वे आज भी उसी स्थिति में हैं जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बड़े–बड़े संगठन एवं संस्थाये समय–समय पर अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करते रहे हैं, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी सहित अन्य गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता हेतु नीति निर्धारित की थी उससे वह लेश मात्र भी पीछे नहीं है, इसी कड़ी में एक्युपंक्चर थेरापी भी थी इस थेरेपी के अनुयायियों तथा संगठनों ने पूर्ण प्रयास कर वांछित की पूर्ति ही नहीं अपितु भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पूर्ण अभिलेख व साक्ष्यों से संतुष्ट भी कर दिया यही कारण था कि एक्युपंक्चर थेरापी को मान्यता प्राप्त की श्रेणी में भारत सरकार एक्युपंक्चर थेरापी को सम्मानजनक वह स्थान दिया जिसकी वह हकदार थी।

अब आइये हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर जो एक शतक से भी अधिक समय से अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये कभी सरकार से लड़ रही है तो कभी अपने चिकित्सकों के हित के लिये कोर्ट से लेकर सरकार तक अपनी आवाज़ बुलन्द करती रही है, ज़रा विचार करें क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संगठनों का तरीका गलत था या फिर वे इतने अनभिज्ञ हैं कि मान्यता का मार्ग आज तक सही तलाश ही नहीं कर पाये।

आपको याद होगा वर्ष 1953 में सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये पहली बार एक अर्ध शासकीय पत्र जारी किया गया था हम तो यही कहेंगे कि इस बार भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संगठनों द्वारा चूक हुयी और इसका वास्तविक लाभ जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मिलना चाहिये था नहीं ले सके।

यह बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है अब आइये 21वीं सदी में यहां पर भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उसका वास्तविक अधिकार के लिये वर्ष 2016 में अन्तरविभागीय समिति का गठन यह सोचकर किया कि वर्षों से प्रतीक्षित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को वह अधिकार मिलने चाहिये जिसकी वह वास्तविक हकदार है, मान्यता लेने के लिये समिति ने समय–समय पर अनेक मीटिंग की और साक्ष्य मांगे परन्तु ढाक के तीन पात वाली कहावत चिरितार्थ हुयी।

इसे विडम्बना ही कहेंगे कि आयुष पद्धतियों के अन्तर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगा का कोई कानूनी ढांचा आज भी नहीं है जबकि इन पद्धतियों को केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पल्लवित एवं पोषित किया जा रहा है सरकार का सौतेला व्यवहार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये साफ दिख रहा है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक

प्रथम पेज से आगे

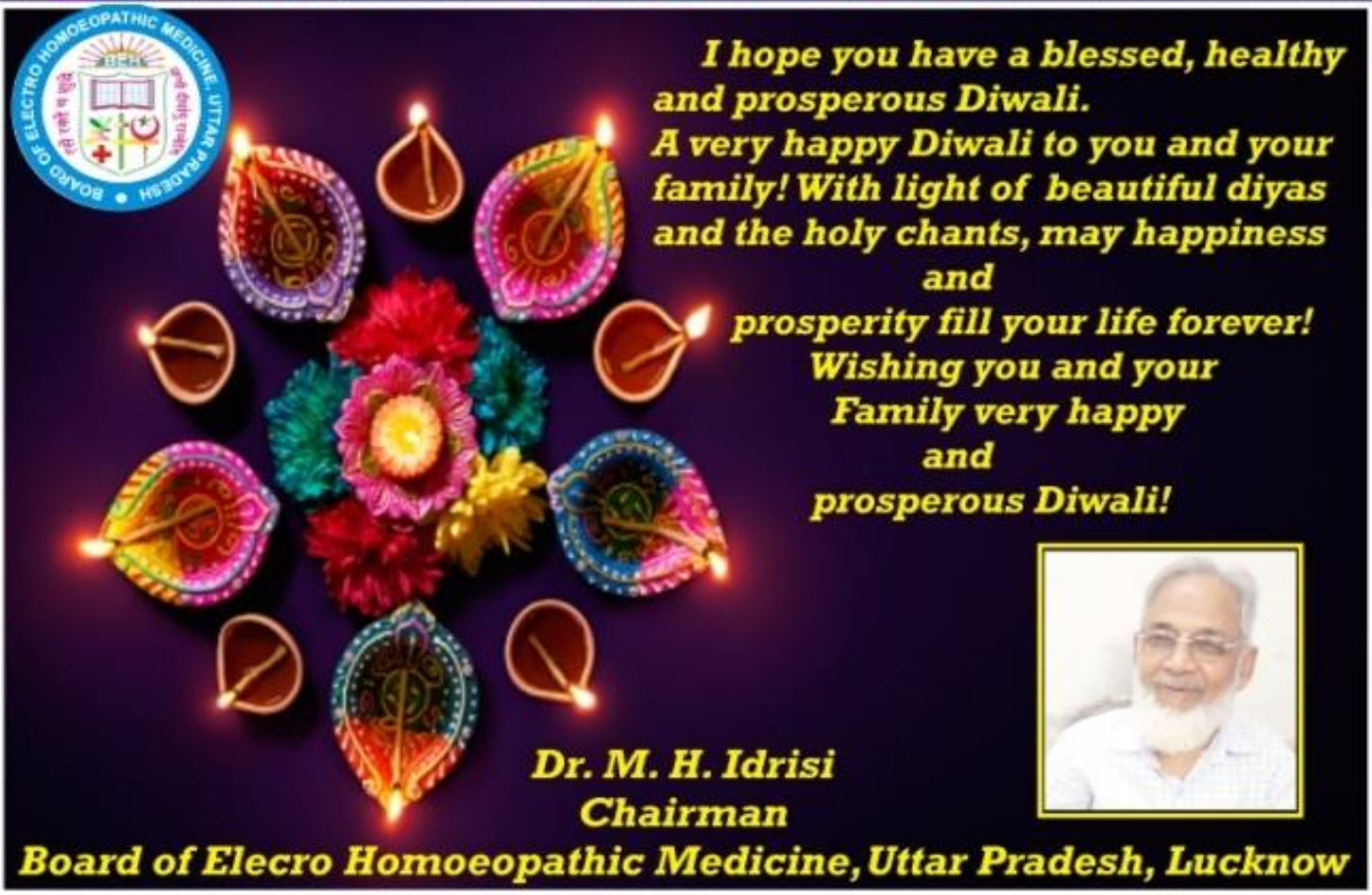
जब विकास की बात चलती है तो यह बात आती है कि क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास नहीं हो रहा है ? तो यदि विचार करें तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है किसी भी चिकित्सा पद्धति के विकास का आंकलन उस चिकित्सा पद्धति के जनप्रयोग पर आधारित होता है दूसरा उसकी शिक्षण व्यवस्था पर, विकास में निरन्तरता बनी रहे इसके लिए अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य होते रहने चाहिये चूंकि अनुसंधान ही हमें नवीनता से परिचय कराता है यदि हम आज से 25 साल पहले के इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास पर दृष्टि डालें और देखें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कितनी प्रैक्टिस हो रही है ? समाज में इसे कितना स्वीकारा जा रहा है, तो इसके आंकलन का सीधा– साधा रास्ता है कि औषधियों की मांग और पूर्ति का अनुपात क्या है ? आज से 25 वर्ष पूर्व तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां चन्द लोग ही बनाते थे, मांग भी बहुत कम थी, इन 25 सालों के अन्दर पूरे देश में एक सैकड़ा से ज़्यादा दवा निर्माण इकाईयां असित्व में आई हैं और हर कम्पनी दावा करती है कि उनकी कम्पनी लाखों का वार्षिक टर्न–ओवर करती है, नित नई कम्पनियां खुलती जा रही हैं यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है, प्रैक्टिस भी बढ़ी है, सीधा सा फण्डा है कि दवा खरीदी जाती है तो व्यवहार में भी लायी जाती होगी, यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लोकप्रियता का स्पष्ट उदाहरण है, हाँ एक बात ज़रूर है कि आज पीढ़ीयों में टकराव के स्पष्ट दर्शन होते हैं जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वह परम्पराओं पर विश्वास करते हैं और मैटी के सिद्धान्तों से कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं फलतः नई पीढ़ी के लोग कभी कभी ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो कि नई व्यवस्थाओं को जन्म दे देते हैं।

अक्सर हमारे साथी यह सवाल करते हैं कि अब नया क्या हुआ ? यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर हर एक को स्वीकार नहीं होता, जीवन में नवीनता तो आती है लेकिन नया पन बार–बार नहीं होता इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थापित हो उसका यथा सम्भव विकास हो शासकीय संरक्षण और ज़्यादा प्राप्त हो, हमारे साथियों को भी शासकीय सेवाओं में अवसर मिले यह सारी कि सारी कामनायें तभी फलीभूत होंगी जब पीढ़ियों के बीच वैचारिक समानता जन्म लेगी।

अपने विचारों को रखना हर एक का अधिकार है लेकिन अपने ही विचारों को थोपना हर किसी को स्वीकार नहीं होता, नई पीढ़ी की जो बात पद्धति के लिए हितकारी हो जिससे चिकित्सा पद्धति का भला हो ऐसे विचारों को पुरानी पीढ़ी को स्वीकारने में गुरेज़ नहीं करना चाहिये इसके साथ–साथ नई पीढ़ी का दायित्व है कि वह इतिहास को न बदले क्योंकि इतिहास हमारी धरोहर है, धरोहर को सजोना नई पीढ़ी का दायित्व है जब सबका लक्ष्य एक है तो आपसी कटुता के दर्शन क्यों होते है आज जो भी लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े है उनकी यही इच्छा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वास्तविक विकास हो।

इसलिए हमें वही रास्ते ढुढ़ने होंगे जिसपर चल कर हम सब एक नये सुप्रभात का इंतजार करें, कभी भी सम्भावनायें खत्म नहीं होती हैं कब क्या हो जाये यह हम सब नहीं जान सकते लेकिन इसी विचार में पड़े रहकर कार्य न करें यह भी उचित नहीं है, हमें जो अधिकार और जो अवसर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त हैं हमें उनका भरपूर उपयोग करना चाहिये और कार्य करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी, सरकार ने जो अवसर हमें प्रदान किया है उसका पूरा लाभ उठाना चाहिये, प्रतीक्षा का समय अब ज्यादा नहीं है जो वर्तमान दृश्य दिखायी दे रहा है वह अच्छाई की ओर संकेत दे रहा है इसलिए अनिर्णय की स्थति से उबरकर सकारात्मक निर्णय लें और पूरे उत्साह और जोश के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास में लग जाये इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबकी है इसपर किसी का विशेषाधिकार नहीं है यह अलग बात है कि आज कुछ संस्थाओं को यह अधिकार प्राप्त है लेकिन कार्य करने का अधिकार और कार्य करने के लिए सभी के लिए रास्ते खुले हैं अधिकार जताने की होड़ में जोश में आकर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे कि चिकित्सा पद्धति, उससे जुड़े चिकित्सक और चिकित्सा पद्धति का लाभ ले रहे व्यक्तियों का नुकसान हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी असीमित है इसको सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, अनुसंधान वह क्षेत्र है जिसपर कार्य करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को और अधिक जनोपयोगी बनाया जा सकता है इसलिए आईये हम सब मिलकर सकारात्मक विचारों के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए कार्य करें।





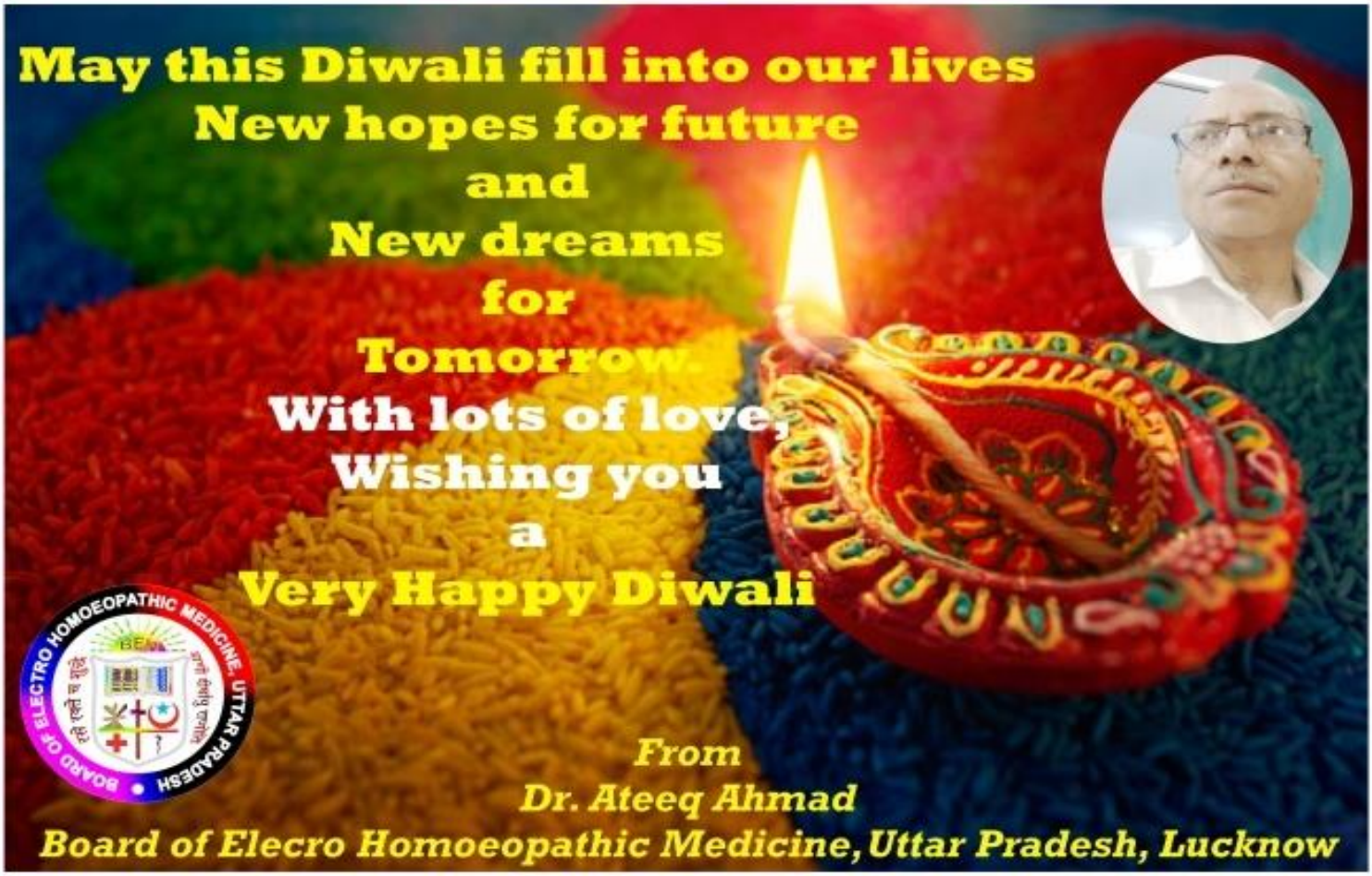
Offered Courses

Name of the Course	Abbreviation	Eligibility	Duration
Fellow of Medicine in Electro Homoeopathy	F.M.E.H.	10+2 (Any Stream) or Equivalent	Two Years (4 Semester)
Certificate in Electro Homoeopathy	C.E.H.	10th. Standard or Equivalent	2 Years
Advance Certificate in Electro Homoeopathy	A.C.E.H.	RegisteredPractitioner in any Branch or Equivalent	1 Year
Graduate in Electro Homoeopathic System	G.E.H.S.	10+2 (Bio Group) or Equivalent	4 Years Plus (1 Year Internship)
Post Graduate in Electro Homoeopathy	P.G.E.H.	Graduate in any Medical Stream or Equivalent	2 Years

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

8–लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ–226001

प्रशा0 कार्या0 : 127/204 "एस" जूही, कानपुर–208014 website: www.behm.org.in



इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों की दुनिया में जिसपर आप करें भरोसा

आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने वर्ष 1978 से वाला एक मात्र संगठन

जब भी आपने संकट में पुकारा – सदैव हमें अपने पास पाया







बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।